भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 911

23 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमरावती के लिए बुनियादी ढांचा परियोजना

†911. डॉ. गुम्मा तनुजा रानीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एम्स मंगलगिरी**,** वीआईटी**,** एसआरएम और बिट्स पिलानी सहित अमरावती में प्रमुख केंद्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या है तथा उनके विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है**;**

(ख) विश्व बैंक समर्थित वित्तपोषण के बाद अमरावती एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत या निष्पादित की जा रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा मई**,** 2026 की स्थिति के अनुसार चल रहे कार्यों का मूल्य कितना है**;**

(ग) क्या सरकार ने जीपीआरए परिसर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के स्थानांतरण में सहायता के लिए अमरावती में स्कूलों**,** स्वास्थ्य सुविधाओं और सार्वजनिक परिवहन की तत्परता का मूल्यांकन किया है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;** और

(घ) अमरावती में पारदर्शिता और न्यायसंगत भूमि आवंटन सुनिश्चित करने के लिए**,** विशेष रूप से प्रमुख भूमि के आवंटन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवासों के संरक्षण के संबंध में क्या उपाय किए गए हैं**?**

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क), (ख) एवं (घ): संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के उपबंधों के अनुसार, सातवीं और बारहवीं अनुसूची के संयोजन में, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों अर्थात अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0), प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0), पीएम-ई-बस सेवा स्कीम आदि के माध्यम से

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है। यह सूचना एमओएचयूए द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) चूंकि वर्तमान में अमरावती में कोई जीपीआरए नहीं है, अत: प्रश्न नहीं उठता।
